तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 47 / 2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
23.10.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नारसिंह पुत्र भीखसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– वाडका, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री महेश शर्मा उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 क्रमशः हडमतसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका, गणपतसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका, गंगारसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका एवं शेरसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– वाडका, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड समझौता प्रस्ताव क्रमांकःराजस्व / 2019–20 / 2411–14 दिनांक 04.10.2019 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अलग से पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 03.10.2023 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत उक्त बंटवाड प्रस्ताव दिनांक 04.10.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। यह कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थी के वृद्वावस्था, बहरेपन एवं अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए मौजा वाडका, पटवार हल्का जोगापुरा में स्थित कृषि भूमि जो कुआं नामे घेवरी के नाम से जानी व पहचानी जाती है जिसका खसरा संख्या क्रमशः 77, 78, 79, 80, 81 एवं 83 कुल किता 6 कुल रकबा 69 बिघा 08 विस्वा है, को मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर बंटवारा करवाने का मूगालता देकर संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का असगंत अव्यवाहारिक बंटवार अपने पक्ष में लिख कर प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी अपीलाण्ट के साथ घोखा कर मुख्य सड़क से लगते कृषि भूमि के हिस्से को अपने हिस्से में बता कर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने मूल्यवान कृषि भूमि को अपने नाम से करवाने के दुराश्य से प्रार्थी अपीलार्थी को मुगालते देकर व धोखे में रख कर उक्त कृषि आराजी का आपुसी सहमति से विसंगत बटवार बना कर सहमति के दस्तावेजात बनवाकर प्रार्थी अपीलार्थी के अंगुठा निशानी करवाकर कृषि आराजी [illegible] करवा दिया है। प्रार्थी अपीलार्थी को [illegible] जानकारी होने पर .....ल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 47 / 2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त बंटवार को निरस्त किये जाने हेतु अपनी शिकायत की परन्तु अपीलार्थी को कोई राहत प्राप्त नही होने पर अपीलार्थी ने बंटवार के समस्त दस्तावेज प्राप्त करने हेतु दिनांक 21.6.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया एवं उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही प्रार्थी ने अपील प्रस्तुती हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपीलार्थी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने धोखें व मुगालते में रखकर अंगूष्ठ निशानी करवाकर मूल्यावन व सड़क तरफ की कृषि भूमि को अपने हिस्से में रख लिया है व अन्दर की ओर स्थित भूमि को अपीलार्थी के हिस्से में रखा है, जिसमें संबंध में जानकारी होने से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने झूठे कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, बल्कि हकीकत यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सभी ने मिलकर आपसी सहमति से राजीखुशी सोच समझकर संयुक्त कृषि आराजी का आपसी विभाजन कर आपसी सहमति से कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करके मय नक्शा व जमाबंदी व दस्तावेज के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2019 को तहसीलदार शिवगंज के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाड प्रस्ताव प्रस्तुत कर बंटवाड प्रस्ताव समझौता के अनुसार बंटवाड़ स्वीकृत करने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को पुछने पर सहमति देने से पटवारी हल्का द्वारा उनकी पहचान कर बंटवाड़ प्रस्ताव के अनुरूप सभी पक्षकारान के सहमति के आधार पर तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करके बंटवाड प्रस्ताव समझौता के अनुरूप राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये एवं तब से उक्त कृषि आराजी का विभाजन हो चुका है एवं अपनी अपनी कृषि आराजी पर काश्त करते आ रहे है जिसकी जानकारी स्वयं प्रार्थी को है एवं प्रार्थी अपनी कृषि आराजी पर काश्त करता आ रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र झूठे तथ्यों का पुलिन्दा होने व अपने स्वयं द्वारा किये गये कृत्यों को नकार कर यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के साथ किसी प्रकार की कोई [illegible] न ही की है, बल्कि प्रार्थी द्वारा अपनी सहमति से [illegible] बं[illegible]ड़ प्रस्ताव को मंजूर किया है तो धोखे की [illegible] आपमें मानने योग्य नहीं हो[illegible] कथन है। प्रार्थी ने कब .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 47/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

शिकायत की, किस दिनांक किस माह व किस वर्ष में की, किसको शिकायत की, ऐसा कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है एवं न ही प्रार्थी ने यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी को बंटवाड़ प्रस्ताव दिनांक 04.10.2019 की जानकारी दिनांक 20.06 2022 को किस आधार पर प्रथम बार हुई। प्रार्थी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विश्वासघात नहीं किया गया, बल्कि प्रार्थी के साथ शुरू से कृषि भूमि के हुए बंटवाड़ का ज्ञान है एवं उसी अनुरूप बंटवाड़ में आई कृषि भूमि पर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2015(4)WLC(Raj.)566 में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी ने दिन–प्रतिदिन के विल्मब का कोई स्पष्टीकरण नही दिया है व अपील प्रस्तुत करने में 3 वर्ष के विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण नही दर्शाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड समझौता प्रस्ताव दिनांक 04.10.2019 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी नारसिंह ने यह जाहिर किया है कि "प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थी के वृद्धावस्था, बहरेपन एवं अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए मौजा वाडका, पटवार हल्का जोगापुरा में स्थित कृषि भूमि जो कुआं नामे घेवरी के नाम से जानी व पहचानी जाती है जिसका खसरा संख्या क्रमशः 77, 78, 79, 80, 81 एवं 83 कुल किता 6 कुल रकबा 69 बिघा 08 विस्वा है, को मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर बंटवारा करवाने का मूगालता देकर संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का असगंत अव्यवाहारिक बंटवार अपने पक्ष में लिख कर प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी अपीलाण्ट के साथ घोखा कर मुख्य सड़क से लगते कृषि भूमि के हिस्से को अपने हिस्से में बता कर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने मूल्यवान कृषि भूमि को अपने नाम से करवाने के दुराश्य से प्रार्थी अपीलार्थी को मुगालते में [illegible] धोखे में रख कर उत्त्क कृषि आराजी का आपसी सह[illegible] से [illegible]संगत बटवार बना कर सहमति के दस्त[illegible] अपीलार्थी के अंगुठा निशानी करवाकर [illegible] बंटवार करवा दिया है,

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 47/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है।''

यह उल्लेखनीय है कि जहां किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा हो या कोई कपट संधि या दुव्यपदेशन हुआ है, तो ऐसे आरम्भतः शून्य आदेशों के मामलों में परिसीमा अवधि लागू नही होती है। ऐसी स्थिति में, अपील पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना ही हमारे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड समझौता प्रस्ताव क्रमांकःराजस्व/2019–20/2411–14 दिनांक 04.10.2019 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो एवं मूल अपील पत्रावली के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 23 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:35 IST
Reason: SelfAttested